कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)
सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001
फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ -2474 बिलासपुर, दिनांक 28-8-2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू–प्रबंध)
अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

विषय :– मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि. ग्राम तराईमाल, ब्लाक तमनार जिला– रायगढ़ द्वारा गेरवानी नाला से निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे. वाट केप्टिव पावर प्लांट हेतु कुल 0.117 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन बाबत्।
पंजीयन क्रमांक FP/CG/PIPELINE/37602/2018

संदर्भ:– आपका पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–770/1897 रायपुर दिनांक 07.08.2021 व.म.अ. रायगढ़ का पत्र क्र./तक./1124 दिनांक 23.08.2021

विषयान्तर्गत लेख है कि मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि. ग्राम–तराईमाल तहसील–तमनार जिला–रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा गेरवानी नाला से अपने ग्राम तराईमाल स्थित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे.वा. कैप्टिव पॉवर प्लांट हेतु पानी ले जाने के लिए 0.117 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में वांछित 05 बिन्दुओं की जानकारी वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ के द्वारा प्रेषित किया गया है, अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न – संदर्भित पत्र की प्रति 02 कॉपी में।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ. क्र./तक. / -2475 2021/बिलासपुर, दिनांक: 28-8-2021

प्रतिलिपिः–

1. वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
2. मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि. ग्राम– तराईमाल ब्लाक– तमनार जिला– रायगढ़ छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

D:\All office\CCF\FCA\7.011 ha. and 0.117 ha..doc

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./ 1124 /2021/रायगढ़, दिनांक – 23/08/2021

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
बिलासपुर वृत्त,
बिलासपुर (छ.ग.)

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक क्रमांक 6139 दिनांक 25/8/2021 बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of 0.117 ha. Forest land in favour of Singhal Energy Pvt. Ltd. For Laying Pipeline from Gerwani Nala to Plant for Water Supply in Raigarh District in the State of Chhattisgarh-regarding. (पंजीयन क्रमांक FP/CG/PIPELINE/37602/2018)**

संदर्भ:– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) का पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / विविध / 115–770/1897 रायपुर दिनांक 07.08.2021

2. सिंघल एनर्जी प्राईवेट लिमि. का पत्र दिनांक 17.08.2021

....

उपरोक्त विषयान्तर्गत मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि. ग्राम–तराईमाल, तह.–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा गेरवानी नाला से तराईमाल स्थित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे.वा. कैप्टिव पॉवर प्लांट हेतु पानी ले जाने के लिए पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.117 हे. वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उक्त व्यपवर्तन प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा 05 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गयी है जो निम्नानुसार है:–

क्र.	चाही गयी जानकारी	विवरण
I	Examination of proposed alignment over google satellite imaginary revealed that instant pipeline is proposed adjacent to existing road.State Government need to submit specific comments on why the proposed pipeline cannot be laid down within the existing Row of road or next it.	प्रस्तावित पाईप लाईन के समीप स्थित रोड स्टेट हाइवे रायगढ से अंबिकापुर के चौड़ीकरण करने का कार्य राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित है। जिसके कारण सड़क के किनारे पाइप लाईन बनाने से बाद में क्षतिग्रस्त होने की आशंका है, क्योकि इसमें कितनी जमीन रोड के चौडीकरण के लिए चाहिए, स्पष्ट नहीं है। अतः प्रस्तावित पाईप लाईन जहां कम पेड़ तथा खाली जगह ज्यादा है, से रोड़ के साथ ही पाईप लाईन कार्य प्रस्तावित है।
II	Details of alternative examined before finalization of proposed alignment along with comparative statement of all ecological parameters dully considered need to be submitted.	वैकल्पिक रुट की जानकारी निम्नानुसार है:– <table><tr><td>S.No.</td><td>Root</td><td>Area in KM</td><td>Effected Forest land in Ha.</td></tr><tr><td>01</td><td>Proposed Root</td><td>2.60 km</td><td>0.117 ha.</td></tr><tr><td>02</td><td>Alternative Way-I</td><td>2.66 km</td><td>0.370 ha.</td></tr><tr><td>03</td><td>Alternative Way-II</td><td>5.09 km</td><td>0.232 ha.</td></tr></table>प्रस्तावित पाइप लाइन का एलाइनमेंट फाइनल करने

		से पहले रूट 01 जिसमें 0.117 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है। परिस्थितिकी पैरामीटर्स का भलिभांति परीक्षण किया गया है। अतः प्रस्तावित रूट परिस्थितिकी पैरामीटर्स में सबसे उपयुक्त पाया गया है। ANX-I
III	Part-1, of form-A has been submitted without mentioning the date of submission. Also, Part-II submitted without mentioning the name of the signing authority.	पार्ट–1, फार्म–ए तथा पार्ट–2 में प्राधिकृति अधिकारी का नाम एवं दिनांक अंकित कर संलग्न प्रेषित है। ANX-II
IV	Examination of compliance of scheduled tribe and other traditional forest dwellers (Recognition of forest rights) Act. 2006 revealed that the proceedings of sub division level committee have not submitted same need to be submitted.	उक्त व्यपवर्तन प्रकरण में कलेक्टर रायगढ़ का वन अधिकार वितरण प्रमाण–पत्र, राजस्व वनभूमि के लिए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा प्रस्ताव में अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न है। ANX-III
V	Details of employment potential in terms of man days of skilled,semiskilled and unskilled persons on permanent (direct and indirect)and temporary (direct and indirect) basis have not been provide.	इस परियोजना में कुल 25 मजदूरों को नौकरी मिलने की सम्भावना है। सभी 25 मजदूर अस्थायी होंगे जिसमें 05 कुशल, 05 अर्द्धकुशल एवं 10 अकुशल श्रमिक होंगे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 1125 /2021/रायगढ़, दिनांक – 23/08/2021

प्रतिलिपि :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल,रायगढ़

ANX - I

An ISO 9001-2008 Certified Company

CIN NO. U40106WB2007PTC115193

Singhal Energy Pvt. Ltd.

• SPONGE • FERRO • POWER •

Ref. No. ....

Date. ....

2. Details of alternative examined before finalization of proposed alignment along with comparative statement of all ecological parameters dully considered need to be submitted.

क्र.	Root	Area in KM	Forest land In Ha.
01	Proposed Root	2.60 Km.	0.117
02	Alternative Way-I	2.66 Km.	0.370
03	Alternative Way-II	5.09 Km.	0.232

M/s. Singhal Energy Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

जी0 के0 मिश्रा

(मैनेजर)

मेमर्स सिंघल एनर्जी प्रा0 लि0 रायगढ

Regd. Office : 303, Century Tower, 45 Shakespeare Sarani, Kolkata- 700 017 ✦ Phone: 033-40088188 ✦ Email : info@singhalsteel.com
Admn. Office : "SINGHAL HOUSE" - 10, Sector 1, Shankar Nagar, Raipur- 492 007 (C.G.) ✦ Phone : 0771-2443228, 2443238, 2443568
Works : Vill. Taraimal, P.O. Gerwani, Distt. Raigarh 496 001 (C.G) ✦ Mob.: 91-98935-99398, 98930-51284 ✦ Email: singhalraipur@yahoo.com

ANX – II

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details

A-1. Project Details

(i). Proposal No. : FP/CG/Pipeline/37602/2018

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : Singhal Energy Pvt. Ltd.

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : Singhal Energy Pvt Ltd. laying of Pipe line from Gerwani Nala to plant for water supply.

(iv). State : Chhattisgarh

(v). Category of the Project : Pipeline

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear

(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 25

(viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 0.117

(ix). Non-Forest Land required for this project(in ha.): 0.275

(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 90

A-2. Details of User Agency

(i). Name : SINGHAL ENERGY PRIVATE LIMITED

(ii). Address1 : HIG 10, Sector 1, Shankarnagar Road, Raipur, Chhattisgarh

(iii). Address2 : NIL

(iv). State : Chhattisgarh

(v). District : Raigarh

(vi). Pin : 492007

(vii). Landmark : NIL

(viii). Email address : singhalenergy2016@gmail.com

(ix). Landline Telephone No. : 771-2443238

(x). Fax No. : 771-

(xi). Mobile No. : 7389902200

(xii). Website (if any) : NIL

(xiii). Legal status of User Agency : Private

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: Girindra

(ii). Middle Name: Kumar

(iii). Last Name: Mishra

(iv). Gender: Male

(v). Designation: MANAGER

(vi). Address 1: 201, Madan Complex Shanker Nagar Main Road, Raipur CG

(vii). Address 2: NIL

(viii). State: Chhattisgarh

(ix). District: Raipur

(x). Tehsil: Raipur

(xi). Pin: 496001

(xii). Landmark: Shankar nagar

(xiii). Email Address: gmgkmishra5@gmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 771-2443228

(xv). Fax No.: 0771244566

(xvi). Mobile No.: 9893051284

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency:

B. Details of land required for the Project

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

List of proposal submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
NIL							

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions Involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Raigarh	0.117	0.275

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Raigarh	0.117	0.275

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Ujjalpur	0.039	0
2	Taraimal	0.078	0.275

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Water Supply Pipeline	0.117	0.275

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Raigarh

(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 0.117

(ii). : Linear

(b). No. of Segments : One

Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments
1.	0.117	View File

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted:

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station:

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land:

(ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: Yes

(a). Copy of map indicating location of alternative examined:

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment ?: Yes

(ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 0

(iii). Temporary Employment(Number of person-days): 25

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : No

I. Status of Wildelife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i).Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : Yes

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes

(a). Copy of documentry evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted:

Report Part 1

(14)

Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Not Applicable

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted ?: Not Applicable

(iii) . Reason for not providing Non-Forest Land: Not Applicable

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1		DGPS REPORT
2		WATER PERMISSION CG GOVT
3		APPLICATION FOR FRA COLLECTOR
4		APPLICATION TO COLLECTOR FOR NOC FOR REVENUE FOREST
5		Demand Draft Registration Fee - 6000 and Processing Fee - 29000
6		Pre-feasibility Report

Print page

Dt. 17/08/2021

G. K. MISHRA

M/s. Singhal Energy Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : CG-011/2019

1. Location of the project/Scheme : Chhattisgarh
   - (i) State / Union Territory : Chhattisgarh
   - (ii) District : Raigarh
   - (iii) Forest Division : Raigarh
   - (iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 0.117
   - (v) Category : Pipeline

2. Legal status of forest land proposed for diversion :

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Raigarh	0.078	Reserved Forest
2	Raigarh	0.039	Others (pl. specify)

Division 1. : Raigarh

3. District wise area to be diverted in the division :

S. No.	District	Area(ha.)
1	Raigarh	0.117

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :

(i) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	0.039	0.4	Eco 3
2	0.078	0.4	Eco 3

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL :

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Acacia Catechu	Khair	0	3	0	0	0	0
2	Terminalia Bellarica	Bahera	0	1	0	0	0	0
3	Pterocarpus Marsupium	Beejaa	0	2	0	0	0	0
4	Garcinia Indica	Kurru	3	1	0	0	0	0
5	Acacia Nilotica	Kekat	5	8	2	0	0	0
6	Terminalia Tomentosa	Saja	0	1	0	0	0	0
7	Shorea Robusta	Sal	2	0	0	3	0	0
8	Lagerstroemia Parviflora	Senha	1	3	1	0	0	0
9	Others	Dharbaher, Kari, Char	1	4	0	0	0	0
10	Diasporus Melanoxylon	Tendu	2	0	0	0	0	0

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : NO

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : Soil erosion can be occur

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 0.00

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :

(i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : Details of Flora and Fauna is enclosed.

(ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve,tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No

(iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

(iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No

(v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any :

(i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :

(i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed :

(i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : No Data

13. Details of compensatory afforestation scheme :

(i). Patch wise details for Degraded Area (To be earmarked by DFO)

(i). Total Financial Outlay for C.A(lacs): 0.00

Patch Wise Details						
S.no	Patch No.	Area(ha.)	Name of PF/RF	Range	Compartment No	Uploaded KML file of patch
NO Data						

(ii). Copy of CA scheme details:

(iii). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station: Map

(iv). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.: Map

Additional information Details :

S. No.	Documents	Remarks
1		stock map 2
2		toposheet1
3		toposheet 2
4		forest type map

5			stock map 1
6			cover map
7			Agency demand ltr part I
8			Form IV
9			non forest details
10			Project details
11			Voilation details1
12			Voilation details 3
13			Diverted land dgps report
14			soil productivity
15			Historical Place details
16			Collector NOC
17			10 Km redius
18			CAT Details
19			NPV Details
20			Bhaag III
21			Recomandation Bhaag II
22			CA Suitability details
23			CBS Details
24			forest land details
25			Form ABC
26			Minumum land uses
27			Regestration details
28			Senctioned Project
29			Praptra 3
30			Gram Sabha NOC
31			Voilation details 2
32			FRA Collector NOC
33			Divison land details
34			Categories senctioned Project
35			EC Clearance
36			CA Details
37			Bhaag IV

14. District Profile :

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Raigarh	683600	152959.600	3396.319	58	0.000	16/12/2020	0.000	0.000

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land :

Division Name	Circle	Site inspected	Whether site	No. of times	Site inspection report	Date of visit

		By	inspected	site visited		
Raigarh	Bilaspur(CG)	DFO	Yes	One		19/11/2020

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason :

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Raigarh	Bilaspur(CG)	DFO	Recommended	Recommended		

Print page

(डॉ. प्रणय मिश्रा)

वन मण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग – 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/PIPELINE/37602/2018

7- परियोजना/स्कीम का स्थान – आवेदक मेसर्स सिंघल एजर्नी प्रा.लि.मि. ग्राम तराईमाल तह तमनार, जिला–रायगढ़ द्वारा गेरवानी नाला से प्लांट तक पानी ले जाने के लिए पाईप लाईन बिछाने हेतु रकबा 0.117 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव।

(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	–	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	–	रायगढ़
(iii)	वन प्रभाग	–	रायगढ़
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.)	–	0.117 हेक्टेयर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	–	आरक्षित, नारंगी वनभूमि (सूची संलग्न)
(vi)	हरियाली का घनत्व	–	0.1 से 0.4

(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल. –2मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किए जाए ।

....................प्रस्तावित क्षेत्र में 43 वृक्षो का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।................

(viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी ।

....भू–क्षरण हो सकता है।..

(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी ।

....प्रस्तावित स्थल वन सीमा के अंदर है ।..

(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है । (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)

राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व या हाथी कॉरीडोर स्थित नही है अथवा प्रस्तावित नही है। प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत हाथियों का आवागमन होता रहता है।

(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ठ प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।

......................................नहीं पाया जाता ।......................................

(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है । यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें ।

......................................नहीं है । ....

8- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें ।

......................प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम का प्रमाण पत्र संलग्न है।..................

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।

............................नहीं किया गया है । प्रमाण पत्र संलग्न है ....

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा

......................................निरंक......................................

(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्ड़ों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड़ों का आकार ।

......................................निरंक......................................

(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।

......................................निरंक......................................

(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढ़ांचा आदि ।

......................................निरंक......................................

(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीग के लिए कुल वित्तीय परिव्यय ।

....निरंक.......................................

(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोंण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।)

....निरंक.......................................

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें ।)

.... जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।.....................

विभाग/जिला प्रोफाईल

(i) वनमण्डल का भौगोलिक क्षेत्र

....4384.96 वर्ग कि.मी. ....

(ii) जिले का वन क्षेत्र

....1529.596 वर्ग कि.मी. ....

(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।

.... 58/3396.325 हे.......................................

(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक :–

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि ।

....निरंक ....

(ख) वनेत्तर भूमि पर ।

....निरंक ....

(v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :

रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़ अंतर्गत कुल स्वीकृत क्षेत्र 3396.325 हे. है। जिसके विरूद्ध 1592.130 हे. क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया है। शेष क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य प्रगति पर है।

12- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

आवेदक मेसर्स सिंघल एजर्नी प्राईवेट लिमि. ग्राम–तराईमाल, तह.–तमनार जिला– रायगढ़ द्वारा प्रस्तावित **Laying of Pipeline from Gerwani Nala to Plant for water Supply** हेतु रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत कुल क्षेत्र 0.117 हे., वनभूमि प्रस्तावित है।. वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। अतः प्रस्ताव स्वीकृत की जा सकती है।

दिनांकः– 19/12/2020 हस्ताक्षर

स्थानः– रायगढ़ नाम मनोज कुमार पाण्डेय

वन मण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल

सरकारी मोहर

ANX – III

(96)

कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख शाखा जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

संशोधित

क्रमांक/ 1220 /स.अ.भू.अ./2020

प्रति,

रायगढ़ दिनांक 19/10/2020

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन
अटल नगर नवा रायपुर(छ.ग.)

विषयः– मेसर्स सिंघल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड तराईमाल ब्लाक तमनार जिला रायगढ़ द्वारा गेरवानी नाला से प्लांट को पानी सप्लाई हेतु लगभग 2 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने हेतु कुल 0.117 हे. वन भूमि प्रस्तावित हो रही है। जिसके प्रत्यावर्तन प्रस्ताव वन भूमि में 0.039 हे. राजस्व वन भूमि (नारंगी क्षेत्र 815) प्रस्तावित है के संबंध में अधिनियम 2005 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बावत्।

संदर्भः– मेसर्स सिंघल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड रायगढ़ छ.ग. के पत्र क्रमांक क्यू दिनांक 27.09.2019।

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छ.ग. मेसर्स सिंघल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड तराईमाल ब्लाक तमनार जिला रायगढ़ द्वारा गेरवानी नाला से प्लांट को पानी सप्लाई हेतु लगभग 2 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने हेतु कुल 0.117 हे. वन भूमि प्रस्तावित हो रही है। जिसके प्रत्यावर्तन प्रस्ताव वन भूमि में 0.039 हे. राजस्व वन भूमि (नारंगी क्षेत्र 815) प्रस्तावित है के लिये आवश्यक वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रकरण हेतु वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र चाही गई है। आवेदित भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा के अनुसार निम्नांकित भूमि को आवेदक कंपनी को अनापत्ति प्रमाण दिये जाने की अनुशंसा की गई है जो निम्नानुसार है :–

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	कक्ष क्रमांक/खसरा नं.	प्रभावित रकबा
1	उजलपुर	तमनार	निरंक	815 नारंगी क्षेत्र	0.039
			योग		0.039

अतः उपरोक्तानुसार अनुविभागीय अधिकारी(रा.) घरघोड़ा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नाधिन वनभूमि को मेसर्स सिंघल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड तराईमाल ब्लाक तमनार जिला रायगढ़ को उपयोग में लाये जाने के लिये वरिष्ठ कार्यालय में आवेदन देने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है।

अतः उपरोक्तानुसार अनापत्ति (NOC) भेजने का तात्पर्य यह कदापि नहीं माना जायेगा कि उपर्युक्त भूमि आवेदक विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग)

पृ. क्रमांक/ 1220 A/स.अ.भू.अ./2020

रायगढ़ दिनांक 19/10/2020

प्रतिलिपिः–

वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रायगढ़ को सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग)

SA-Later

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

संशोधित

प्रदर्श 'स'

प्रमाण पत्र

मेसर्स सिंघल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड तराईमाल ब्लाक तमनार जिला रायगढ़ द्वारा गेरवानी नाला से प्लांट को पानी सप्लाई हेतु लगभग 2 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने हेतु कुल 0.117 हे. वन भूमि प्रस्तावित हो रही है। जिसके प्रत्यावर्तन प्रस्ताव वन भूमि में 0.039 हे. राजस्व वन भूमि (नारंगी क्षेत्र 815) प्रस्तावित है के लिये वन भूमि के प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन :-

1- प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को रथापित किया गया हैं, तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वनभूमि रकबा 0.117 हे.राजस्व वन भूमि (नारंगी क्षेत्र) 0.039 हे. एवं आरक्षित वनभूमि 0.078 हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तदनुसार कार्यवाही पूर्ण की गई है।

सहायक महानिरीक्षक वन भारत सरकार का पत्र कमांक/11-9/98-एफ.सी. (पी.टी.) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 05.02.2013 के द्वारा जहां विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी. सी.) एवं कृषि पूर्ण समुदायों के मान्यता अधिकार शामिल न हो वहां सड़क निर्माण, नहरों, पाईप लाईन, आप्टिकल फाइबर बिछाव एवं संचरण लाईनों जैसी परियोजनाओं का गमन (रैखिक व्यपवर्तन) के लिये ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता से छूट दी गई है।

2-यह प्रमाणित किया जाता है कि (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है

क.	ग्राम का नाम	तहसील	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0 में)
1	उजलपुर	तमनार	-	-

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वनभूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवसी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
4. सयुंक्त सत्यापन प्रतिवेदन के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

Revised

Annexure-1

FORM-1
(for linear project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Raigarh
****

No .1281......... Date 19/10/2020

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.117 Hect.** of forest land proposed to be diverted in favour of **M/S Singhal Energy Pvt. Ltd Taraimal Tamnar Dist Raigarh for Construction of Gerwani Nala to Water Supplies of plant into 2KM**. pippe line to lay. It is further certified that.:-

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the total **0.117** hectares of forest area, proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....1........ to......4................
(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;
(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

(Bhim Singh)
District Collector
Raigarh

कार्यालय ग्राम पंचायत तराईमाल, वि.खं. तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

ग्राम पंचायत/ग्राम सभा बैठक

कार्यवाही विवरण ग्रा.पं. - तराईमाल

दिनांक	उपस्थित सदस्य का नाम	विषय	बैठक कार्यवाही विवरण	निर्णय जो लिया गया	हस्ताक्षर
	(1) श्रीमति बिंदिया भगत सरपंच (2) -"- अनंतराम पंच (3) -"- सुकलसाय (4) -"- महेशराम (5) -"- आनंदराम (6) श्रीमति चिरमती (7) -"- आसो (8) -"- डोलमालाकार (9) -"- पदमिनी (10) श्री हलधार (11) -"- सोधूराम पंच (12) -"- मकुन्द राम (13) -"- हरिशंकर (14) -"- चित्रकुट (15) -"- दयाराम पंच	प्र०क्र० 8 अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में।	आज दिनांक 5-10-2018 को ग्राम सभा बैठक सम्पन्न हुआ चर्चा के दौरान प्र०क्र० 8 में रखा गया कि सिंघल इनर्जी प्रा० लिमिटेड द्वारा गेरवानी नाला से पावर प्लांट तक पाईप लाईन लगाने की आवश्यकता है, ग्राम सभा बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चर्चा करने बाद में यह निर्णय लिया गया कि अत: जल संसाधन संभाग से जल आबंटित है इसमें हमे किसी प्रकार की आपत्ति नही है, यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया एवं अनुमोदन किया गया एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया सचिव ग्राम पंचायत तराईमाल जनपद पंचायत-तमनार जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।	1 से 15 तक सर्व सम्मति बिंदिया भगत सरपंच ग्राम पंचायत-तराईमाल जनपद पंचायत-तमनार

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

क्रमांक / 1808 / वनअधि. / 2020 घरघोड़ा, दिनांक 13.10.2020

प्रति,

कलेक्टर, (भू–अभिलेख शाखा)
रायगढ़ (छ.ग.)

विषयः– अनापत्ति प्रमाण पत्र में त्रुटि सुधार के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख हैं कि इस कार्यालय का पत्र क्रं. 862 / वन.अधि. / 2020 घरघोड़ा दिनांक 03 / 07 / 2020 के अनुसार मेसर्स सिंघल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड ग्राम तराईमाल ब्लाक तमनार जिला रायगढ़ द्वारा गेरवानी नाला से प्लांट को पानी सप्लाई हेतु लगभग 2 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने हेतु कुल 0.117 हेक्टे. वन भूमि प्रस्तावित हो रही हैं, जिसके व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि में से 0.038 हेक्टे. राजस्व वन भूमि (नारंगी क्षेत्र 815) प्रस्तावित हैं, के संबंध में लिये गये वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी संबंधित FRA प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसमें 0.038 हेक्टे. को सुधार कर 0.039 हेक्टे. राजस्व वन भूमि पढ़ा जावें।

तदनुसार त्रुटि सुधार हेतु सादर सम्प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

An ISO 9001-2008
Certified Company

CIN NO. U40106WB2007PTC115193

Singhal Energy Pvt. Ltd.

• SPONGE • FERRO • POWER •

Ref. No. .... Date. ....

प्रति, दिनांक–17/08/21

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ वन मण्डल

विपयः–Division of 0.117 forest land in favour of singhal Energy pvt Ltd for laying pipeline from Gerwani Nala to plant for water supply in Raigarh District in the state of Chhattisgarh regardingh

संदर्भ भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय Integrated Reginal office (Raipur) ccif no. FC-I/IROCH-06/2021-NGP/27 दिनांक 30/07/2021

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा उठाये गये मुद्दों का कण्डिकावार उत्तर निम्न है।

1 Examination of proposed alignment over google satellite imaginary revealed that instant pipeline is proposed adjacent to existing road.State Government need to submit specific comments on why the proposed pipeline cannot be laid down within the existing Row of road or next it.

उक्त रोड स्टेट हाइवे 1 रायगढ से अम्बिकापुर के चौडी करण करने का कार्य राज्य भासन द्वारा प्रस्तावित है। जिसके कारण सड़क के किनारे पाइप लाईन बनाने से बाद में क्षतिग्रस्त होने की आशंका है, क्योकि इसमें कितनी जमीन रोड के चौडीकरण के लिए चाहिए, स्पश्ट नहीं है। अतः प्रस्तावित पाईप लाईन जहां कम पेड तथा खाली जगह ज्यादा हे, से रोड के साथ ही साथ प्रस्तावित है।

2 Details of alternative examined before finalization of proposed alignment along with comparative statement of all ecological parameters dully considered need to be submitted.

प्रस्तावित पाइप लाइन का एलाइनमेंट फाइनल. करने से पहले रूट A जिसमें 0.379 हे0 वन भूमि आ रही थी तथा रूट B जिसमें 0.232 हे0 वन भूमि आ रही थी के परिस्थितिकी मैरामीटर्स का भलिभांति परीक्षण किया गया है। इन रूटों में अधिक वन भूमि, अधिक वृक्ष एवं घने जंगल तथा कक्ष के बीच से आ रहे थे जसे वन्य जीवों को भी प्रभावित कर सकते थे। अतः प्रस्तावित रूट परिस्थितिकी मैरामीटर्स में सबसे उपयुक्त पाया गया है। (संलग्न)

Regd. Office : 303, Century Tower, 45 Shakespeare Sarani, Kolkata- 700 017 + Phone: 033-40088168 + Email : info@singhalsteel.com
Admn. Office :"SINGHAL HOUSE" - 10, Sector 1, Shankar Nagar, Raipur- 492 007 (C.G.) + Phone : 0771-2443228, 2443238, 2443566
Works : Vill. Taraimal, P.O. Gerwani, Distt. Raigarh 496 001 (C.G.) + Mob.: 91-98935-99398, 98930-51284 + Email: singhalraipur@yahoo.com

An ISO 9001-2008
Certified Company

CIN NO. U40106WB2007PTC115193

Singhal Energy Pvt. Ltd.

• SPONGE • FERRO • POWER •

Ref. No. ....

Date. ....

3 Part-1,of form-A has been submitted without mentioning the date of submission.Also ,Part-II submitted without mentioning the name of the signing authority.

सही कर पुनः प्रस्तुत है।

4 Examination of compliance of scheduled tribe and other traditional forest dwellers (Recognition of forest rights) Act. 2006 revealed that the proceedings of sub division level committee have not submitted same need to be submitted.

Sub-Division level committee का प्रोसिडिंग संलग्न है।

5 Details of employment potential in terms of man days of skilled,semiskilled and unskilled persons on permanent (direct and indirect)and temporary (direct and indirect) basis have not been provide.

इस परियोजना में कुल 25 मजदूरों को नौकरी मिलने की सम्भावना है। सभी 25 मजदूर अस्थायी होंगे जिसमें 05 कुशल, 05 अर्द्वकुशल एवं 10 अकुशल श्रमिक होंगे। **(संलग्न)**

उपरोक्त जानकारी सादर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

M/s. Singhal Energy Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

जी0 के0 मिश्रा

(मैनेजर)

मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा0 लि0 रायगढ

An ISO 9001-2008
Certified Company

CIN NO. U40106WB2007PTC115193

Singhal Energy Pvt. Ltd.

• SPONGE • FERRO • POWER •

Ref. No. ....

Date. ....

2. Details of alternative examined before finalization of proposed alignment along with comparative statement of all ecological parameters dully considered need to be submitted.

क्र.	Root	Area in KM	Forest land In Ha.
01	Proposed Root	2.60 Km.	0.117
02	Alternative Way-I	2.66 Km.	0.370
03	Alternative Way-II	5.09 Km.	0.232

M/s. Singhal Energy Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

जी0 के0 मिश्रा

(मैनेजर)

मेमर्स सिंघल एनर्जी प्रा0 लि0 रायगढ

Regd. Office : 303, Century Tower, 45 Shakespeare Sarani, Kolkata- 700 017 ✦ Phone: 033-40088168 ✦ Email : info@singhalsteel.com
Admn. Office : "SINGHAL HOUSE" - 10, Sector 1, Shankar Nagar, Raipur- 492 007 (C.G.) ✦ Phone : 0771-2443228, 2443238, 2443568
Works : Vil. Taraimal, P.O. Gerwani, Distt. Raigarh 496 001 (C.G) ✦ Mob.: 91-98935-99398, 98930-51264 ✦ Email: singhalraipur@yahoo.com